# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 103/2022

1. प्रिंस (नाबा.) पुत्र उम्मेदमल जाति मीणा निवासी मूण्डला जर्ये वली दादी रामभरोसी पत्नी स्व. श्री रघुनाथ जाति मीणा निवासी मूण्डला (छत्रपुरा) तहसील मांगरोल जिला बारां
2. कृष (नाबा.) पुत्र उम्मेदमल जाति मीणा निवासी मूण्डला जर्ये वली दादी रामभरोसी पत्नी स्व. श्री रघुनाथ जाति मीणा निवासी मूण्डला (छत्रपुरा) तहसील मांगरोल जिला बारां

.....वादीगण/अप्रार्थीगण

**बनाम**

1. उम्मेद
2. दोलतराम
3. नवलकिशोर

पुत्रान रघुनाथ जाति मीणा निवासी मूण्डला(छत्रपुरा) तहसील मांगरोल

4. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

.....प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण

**निर्णय**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0**

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)
वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण : श्री अमित कुमार गौड
वकील अप्रार्थीगण/वादीगण : श्री कर्मवीर शर्मा
निर्णय दिनांक : 07.12.2022

प्रतिवादीगण कम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का संक्षिप्त विवरण बिन्दुवार निम्न प्रकार है:–

1. यह कि प्रस्तुत वाद पत्र वादी कम 1 व 2 की और से नाबालिग की वली रामभरोसी बाई की ओर से प्रस्तुत किया गया है जबकि नाबालिग बच्चो के नेसर्गिक वली माता–पिता ही होते है। रामभरोसी बाई ने बच्चों को स्कूल सीसवाली से लाकर जबरन वली बनकर वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया है जो कानूनन विधि द्वारा वर्जित है।
2. यह कि वादी कम 1 व 2 का नेसर्गिक पिता प्रतिवादी कम 1 ही है तथा वादी कम 1 व 2 प्रतिवादी कम 1 के पास ही रहते है। जिनका लालन पालन भी प्रतिवादी कम 1 ही करता है। कानूनन माता पिता के जिवित होते हुए दादी बच्चो की वली नही बन सकती है इसलिए प्रस्तुत वाद–पत्र खारिज होने योग्य है।
3. यह कि उपरोक्त आराजी खाता संख्या 6 ग्राम मूण्डला में रामभरोसी बाई का नाम भी दर्ज नही है लेकिन रामभरोसी बाई ने प्रतिवादी कम 1 को परेशान करने की गरज से प्रतिवादी कम 2 व 3 के साथ दुरभी संधि करके झूठा वाद पत्र पेश किया है जो कानूनन विधि के सिद्धान्तो के विपरित होने से खारिज होने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद कानून के सिद्धान्तो के विपरित होने से वाद पत्र खारिज किए जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद के साथ शामिल पत्रावली किया । अप्रार्थीगण(वादीगण) की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:—

1. यह कि मद नं0 1 जिस प्रकार अंकित की गई है, आधारहीन होने से अस्वीकार है क्योकि नाबालिग का वली संरक्षक उसके भविष्य की चिंता कर हक अधिकार सुरक्षित और संरक्षित करने वाला होता है। रामभरोसी वादीगण की दादी औश्र प्रतिवादी कम 1 की मां है। क्योकि प्रतिवादी कम 1 मय पत्नी एक राय से पैतृक पुश्तैनी हिस्सा आराजी को पूर्व मे बेच चुके है। शेष बची मे से रजिस्ट्री करवा चुके है जो विरासत से प्राप्त है। प्रतिवादी कम 1 की मां ओर वादीगण की दादी सम्पूर्ण परिवार की संरक्षक होने से नाबालिग वादीगण के हक अधिकारो की सुरक्षार्थ मजबूरी में वृद्धावस्था की 80 वर्ष की उम्र में माननीय न्यायालय में न्याय के लिये वाद लाई है। जो किस प्रकार विधि विरूद्ध है समझ से परे है।
2. यह कि मद नं0 2 जिस प्रकार अंकित की गई है प्रतिवादी कम 1 वादीगण का पिता होना स्वीकार, शेष अस्वीकार है। क्योकि नैसर्गिक पिता— वादीगण पर कोई कुछ खर्च नही करते है। बल्कि वादनी स्वयं सम्पूर्ण खर्च उठाती है। वादीगण की शिक्षा फीस जमा करती है। प्रतिवादी कम 1 का खर्चा तक उठाती रही है।
3. यह कि मद नं0 3 मे खाता संख्या 6 ग्राम मूण्डला में रामभरोसी बाई का नाम दर्ज न होना, प्रतिवादी कम 1 के कारण है जो पूर्व में रामभरोसी बाई का हिस्सा खुर्द बुर्द कर चुका है। अब शेष बचे हिस्से को बेचने पर आमादा है। इस कारण मद नं0 3 अस्वीकार है।

जवाब प्रार्थना में विशेष आपत्तियां भी जाहिर की जो निम्नानुसार है:—

1. यह कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 की परीधी मे नही आता है। इस कारण खारिज किये जाने योग्य है।
2. यह कि प्रतिवादी कम 2 व 3 सह खातेदार हाने से वाद के आवश्यक पक्षकार है। जिनसे वादीनी का पुत्र का रिश्ता है। लेकिन दोनो अलग अलग रहते है। जिनका प्रतिवादी कम 1 के हिस्से से कोई लेना देना नही है। प्रतिवादी कम 1 का गलत आचरण उसके परिवार को कमजोर कर रहा है। इस कारण वादनी न्यायोचति वली और संरक्षक सम्पूर्ण परिवार की है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादी कम 1 आधारहीन होने से सव्यय खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी। वकील पक्षकारान द्वारा दौराने बहस उन्ही तथ्यो को दौहराया गया जो प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित है। प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र का अध्ययन एवं मनन करने पर पाया गया कि वाद पत्र वादी कम 1 व 2 की और से नाबालिग की वली रामभरोसी बाई की ओर से प्रस्तुत किया गया है जबकि नाबालिग बच्चो के नेसर्गिक वली माता—पिता ही होते है। रामभरोसी बाई ने जबरन वली बनकर वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया है जो कानूनन विधि द्वारा वर्जित है। वादी कम 1 व 2 का नेसर्गिक पिता प्रतिवादी कम 1 ही है तथा वादी कम 1 व 2 प्रतिवादी कम 1 के पास ही रहते है। जिनका लालन पालन भी प्रतिवादी कम 1 ही करता है।

Scanned by CamScanner

के जिवित होते हुए दादी बच्चो की वली नही बन सकती है इसलिए प्रस्तुत वाद–पत्र खारिज होने योग्य है।

सी0पी0सी0 के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय द्वारा वाद पत्र नामंजूर(खारिज) किया जा सकता है यदि प्रस्तुत वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित हो। **"सी0पी0सी0 के आदेश 32 नियम 3 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी आदेश इस नियम के अधीन किए गए आवेदन पर तब के सिवाय नही किया जाएगा जब कि अवयस्क के किसी ऐसे संरक्षक को जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा नियुक्त या घोषित किया गया है जो इस निमित्त सक्षम है या जहां ऐसा संरक्षक नही है वहा अवयस्क के पिता को या जहां पिता नही है वहा माता को या जहां पिता या माता नही है वहां अन्य नैसर्गिक संरक्षक को या जहां पिता, माता या अन्य नैसर्गिक संरक्षक नही है वहां उस व्यक्ति को जिसकी देख रेख में अवयस्क है।"**

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि अवयस्क के संरक्षक सर्वप्रथम पिता होता है, पिता नही होने पर माता, माता नही होने पर नैसर्गिक संरक्षक होता है। चूकि अप्रार्थीगण/वादीगण के माता पिता जीवित है इस कारण अप्रार्थीगण/वादीगण की दादी रामभरोसी सी0पी0सी0 के प्रावधानों के अनुसार प्राथमिकता के तौर पर संरक्षक नही है। इस प्रकार आदेश 32 नियम 3 एवं आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 को स्वीकार कर मूल वाद को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 07.12.2022 को खुले न्यायालय में मजमेआम सुनाया गया।

Scanned by CamScanner